श्रवण कुमार बनाम मंगलचन्द आदि
2022 / 07
निर्णय दिनांकः—28.11.2025

सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)
(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार— I आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं.:— 2022 / 07 दर्ज तिथिः— 20.01.2022

1. श्रवण कुमार पुत्र जुगलाराम जाति माली वार्ड नं. 52 मूलजी भगत की मेड़ी के पास, धानुका कुए के पास चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)

.................प्रार्थी

बनाम

1. मंगलचन्द पुत्र जेसाराम जाति माली वार्ड नं. 52 मूलजी भगत की मेड़ी के पास, धानुका कुए के पास चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. महादेव पुत्र जेसाराम जाति माली जाति माली वार्ड नं. 52 मूलजी भगत की मेड़ी के पास, धानुका कुए के पास चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
3. भानी पुत्री जेसाराम जाति माली जाति माली वार्ड नं. 52 मूलजी भगत की मेड़ी के पास, धानुका कुए के पास चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
4. कुनणी पुत्री जेसाराम जाति माली जाति माली वार्ड नं. 52 मूलजी भगत की मेड़ी के पास, धानुका कुए के पास चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
5. मुरलीधर पुत्र जेसाराम जाति माली जाति माली वार्ड नं. 52 मूलजी भगत की मेड़ी के पास, धानुका कुए के पास चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
6. केसर पुत्री नागरमल जाति माली जाति माली वार्ड नं. 52 मूलजी भगत की मेड़ी के पास, धानुका कुए के पास चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
7. कालती पुत्र चुन्नीलाल जाति माली जाति माली वार्ड नं. 52 मूलजी भगत की मेड़ी के पास, धानुका कुए के पास चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
8. किशनी पुत्री तोलाराम जाति माली वार्ड नं. 52 मूलजी भगत की मेड़ी के पास, धानुका कुए के पास चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
9. गोपाल पुत्र नागरमल जाति माली निवासी वार्ड नं. 48 बूंटिया रोड़, भार्गव बस्ती चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
10. द्रोपती पुत्री नागरमल जाति माली वार्ड नं. 52 मूलजी भगत की मेड़ी के पास, धानुका कुए के पास चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
11. दामोदर पुत्र तोलाराम जाति माली वार्ड नं. 52 मूलजी भगत की मेड़ी के पास, धानुका कुए के पास चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
12. नरेश पुत्र चुन्नीलाल जाति माली वार्ड नं. 52 मूलजी भगत की मेड़ी के पास, धानुका कुए के पास चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
13. पूनम पुत्र चुन्नीलाल जाति माली वार्ड नं. 52 मूलजी भगत की मेड़ी के पास, धानुका कुए के पास चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
14. भागोती पत्नी तोलाराम जाति माली वार्ड नं. 52 मूलजी भगत की मेड़ी के पास, धानुका कुए के पास चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:17:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

15. मुन्नी पुत्री चुन्नीलाल जाति माली वार्ड नं. 52 मूलजी भगत की मेड़ी के पास, धानुका कुए के पास चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
16. राकेश पुत्र चुन्नीलाल जाति माली वार्ड नं. 52 मूलजी भगत की मेड़ी के पास, धानुका कुए के पास चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
17. रामली पुत्री चुन्नीलाल जाति माली वार्ड नं. 52 मूलजी भगत की मेड़ी के पास, धानुका कुए के पास चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
18. शारदा पत्नी चुन्नीलाल जाति माली वार्ड नं. 52 मूलजी भगत की मेड़ी के पास, धानुका कुए के पास चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
19. संतारा पुत्री चुन्नीलाल जाति माली वार्ड नं. 52 मूलजी भगत की मेड़ी के पास, धानुका कुए के पास चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
20. सरला पुत्री तोलाराम जाति माली वार्ड नं. 52 मूलजी भगत की मेड़ी के पास, धानुका कुए के पास चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
21. हेमा पुत्री चुन्नीलाल जाति माली वार्ड नं. 52 मूलजी भगत की मेड़ी के पास, धानुका कुए के पास चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
22. शाखा प्रबन्धक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा रिको चूरू
23. शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा चूरू
24. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू (राज.)

.... मुख्य अप्रार्थी

25. गजानन्द पुत्र जुगलाराम जाति माली वार्ड नं. 52 मूलजी भगत की मेड़ी के पास, धानुका कुए के पास चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
26. तेजाराम पुत्र जुगलाराम जाति माली वार्ड नं. 52 मूलजी भगत की मेड़ी के पास, धानुका कुए के पास चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
27. लालचन्द पुत्र जुगलाराम जाति माली वार्ड नं. 52 मूलजी भगत की मेड़ी के पास, धानुका कुए के पास चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
28. शिवकुमार पुत्र जुगलाराम जाति माली वार्ड नं. 52 मूलजी भगत की मेड़ी के पास, धानुका कुए के पास चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)

.... गौण अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः– श्री शिवगौतम सोलंकी
गौण प्रार्थीगणः– श्री नबाब खान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–111, 128
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956

–: निर्णय :–

निर्णय तिथिः– 28.11.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–128 [illegible] भू–राजस्व अधि.–1956 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार [illegible] है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की [illegible] /492/5.0080 हैक्ट., 2865/493/2.0107 हैक्ट. व [illegible] वाके कस्बा चूरू पटवार हल्का चूरू

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:17:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

तहसील चूरू में स्थित है। प्रार्थी व गौण अप्रार्थीगण की स्वयं की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की है प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संव 2071 से 2074 शामिल प्रार्थना–पत्र है।

2. प्रार्थी व गौण अप्रार्थीगण की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जो कि प्रार्थी व गौण अप्रार्थीगण के ही कब्जा, काश्त, खातेदारी में निर्बाद्ध रूप से चली आ रही है।
3. प्रार्थी श्रवण कुमार ने एक प्रार्थना–पत्र दिनांक 21.06.2021 को सीमा ज्ञान बावत दिया जिस पर हल्का पटवारी द्वारा रिपोर्ट कर प्रार्थी द्वारा दिनांक 25.06.2021 को सीमा ज्ञान शुल्क जमा करवा दिया गया जिस पर तहसीलदार कार्यालय द्वारा रिपोर्ट कर हल्का पटवारी ने दिनांक 25.06.2021 के आदेश के संदर्भ में दिनांक 28.06.2021 को उक्त कृषि भूम का सीमा ज्ञान करवाया और अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि उक्त भूमि मौके पर जरीब चलाकर सीमाज्ञान करवाया गया। उक्त भूमि मौके पर राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज रकबे से कम पाई गई जिसके बाबत उक्त प्रार्थना–पत्र प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि का सीमा ज्ञान व पत्थरगढ़ी के लिए यह प्रार्थना–पत्र अदालत मातहत में पेश किया जा रहा है जिसके साथ इस उक्त सीमाज्ञान रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है।
4. उक्त कृषि भूमि की उत्तरी व दक्षिणी सींव को अप्रार्थीगण काटकर नई सींव कायम करना चाहते हैं जिसका विरोध प्रार्थी व गौण अप्रार्थीगण ने किया तो कहा कि उक्त भूमि मेरी खातेदारी में है मगर अप्रार्थीगण इसे मानने से स्पष्ट इन्कार हो गये। इसलिए उक्त विविध प्रार्थना–पत्र अदालत मातहत में पेश किया जा रहा है जो कि सीमा का सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी करवाई जाये जिससे प्रार्थी, अप्रार्थीगण के बीच सीमा संबंधी विवाद समाप्त हो सके।
5. प्रार्थी व गौण अप्रार्थीगण की उत्तरी व दक्षिणी सींव को काटकर छिन्न भिन्न अस्पष्ट जर्जर हालत कर दी और प्रार्थी व गौण अप्रार्थीगण के लिए यह जरूरी हो गया कि पुख्ता सीमा ज्ञान व पत्थरगढ़ी उक्त कृषि भूमि की करवाई जाये। इसलिए यह विविध प्रार्थना–पत्र अदालत मातहत में पेश किया जा रहा है।
6. प्रार्थी व गौण अप्रार्थीगण एक सभ्य एवं भोले–भाले कृषक है मगर मौके पर प्रार्थी व गौण अप्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के बीच सींव की कृषि भूमि की सीमा नष्ट व जर्जर व क्षीण हालत में है और खेत की सीमा को लेकर हर समय गम्भीर विवाद रहता है इसलिए प्रार्थी व गौण अप्रार्थीगण के लिए सीमा ज्ञान आवश्यक हो गया है कि खसरा संख्या 2860/492/5.0080 हैक्ट., 2865/493/2.0107 हैक्ट. व 2869/491/0.1518 हैक्ट. वाके कस्बा चूरू पटवार हल्का चूरू तहसील चूरू का सही सीमा ज्ञान करवा कर पुख्ता चिन्ह (पत्थरगढ़ी) लगाने जिसके लिए यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत है।
7. प्रार्थी व गौण अप्रार्थीगण को जरूरी हो गया है कि वह अपने खेत का पुख्ता सीमा ज्ञान (पत्थरगढ़ी) करवाना चाहते हैं जिससे आगे भविष्य में आस–पड़ौसी से कोई भूमि सीमा ज्ञान संबंधित विवाद ना रहे।
8. प्रार्थी व गौण अप्रार्थीगण द्वारा कृषि भूमि रहन होने के कारण बैंक शाखा प्रबन्धक को पक्षकार संख्या 22 व 23 बनाया गया है।
9. सभी प्रक्रिया तहसीलदार के माध्यम से होनी है जिस कारण राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बतौर अप्रार्थीगण संख्या 24 बनाया गया है।
10. प्रार्थी व गौण अप्रार्थीगण पत्थरगढ़ी व सीमा ज्ञान के लिए निर्धारित फीस व खर्चा वहन करने के लिए तैयार है तथा जब भी अदालतवाला आदेश करेंगे तो आवश्यक फीस जमा करवा दी जावेगी।
11. विवादित कृषि भूमि न्यायालय के क्षेत्राधिकार के [illegible] कारण अदालतवाला को प्रार्थना–पत्र हाजा के श्रवणाधिकार प्राप्त है [illegible] प्रस्तुत है।
12. अन्य तथ्य वर वक्त बहस अर्ज किये जावेंगे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:17:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जावे एवं खसरा संख्या खसरा संख्या 2860 / 492 / 5.0080 हैक्ट., 2865 / 493 / 2.0107 हैक्ट. व 2869 / 491 / 0.1518 हैक्ट. वाके कस्बा चूरू पटवार हल्का चूरू तहसील चूरू का सीमा ज्ञान करवाया जाकर सीमा पर पुख्ता सीमा चिन्ह (पत्थरगढ़ी) करवाई जावे एवं प्रार्थी उचित शुल्क देने हेतु तैयार है।

13. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 25, 26 व 28 वकालतन हाजिर न्यायालय हुए। अप्रार्थी संख्या 1, 2, 5, 9, 11, 13, 18 ने न्यायालय में उपस्थित होकर अनापत्ति जाहिर की है। प्रतिवादी संख्या 3, 4, 6 से 8, 12, 14 ता 17, 19 ता 24 व 27 पर विधिवत तामील के बावजूद इनकी ओर से न्यायालय में कोई उपस्थित नहीं आया। इसलिए इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 25, 26 व 28 को जवाब हेतु को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब नहीं दिये जाने से जवाब प्रार्थना–पत्र बंद किया गया। अप्रार्थी संख्या 24 तहसीलदार, चूरू भूमिधारी है।

14. न्यायालय द्वारा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी की मुताबिक सीमा ज्ञान के अनुसार पत्थरगढ़ी के आदेश जारी करने का निवेदन किया है।

15. मैंने बहस प्रार्थी अधिवक्ता पर मनन किया। प्रकरण में सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–111 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

> ***111. Decision of disputes as to boundaries.****—(1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.*
>
> *(2) If, in the course of an inquiry into a dispute under this section the Land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or it if is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.*

16. राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–111 के अनुसार खसरों की सीमाओं के विवाद को हाल राजस्व नक्शे के अनुसार तथा हाल राजस्व नक्शे के उपलब्ध न होने पर वास्तविक कब्जे के आधार पर निस्तारित किये जाने के प्रावधान बनाये गये है। खसरों की सीमाओं के विवाद को निस्तारित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 के तहत प्रावधान बनाये गये है। अतः प्रकरण में साथ ही राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

> ***128. Boundary disputes.*** *- All disputes concerning boundaries shall be decided by the Land Records Officer in the manner laid down in section 111:*
>
> ***Provided that*** *applications for demarcation of boundaries of fields may be made to and disposed of by the Tahsildar in cases where there exists no dispute as to such boundaries but on account of the*

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:17:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

absence of proper boundary marks there is the likelihood of such a dispute arising.

17. उक्त विधिक प्रावधानों के संदर्भ में पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2071—2074 जमाबंदी 2074 (वर्ष 2017) से स्थायी खसरा संख्या 2860/492/5.0080 हैक्ट., 2865/493/2.0107 हैक्ट. व 2869/491/0.1518 हैक्ट. वाके कस्बा चूरू पटवार हल्का चूरू तहसील चूरू में राजस्व इन्द्राज एवं तहसीलदार चूरू द्वारा किये गये सीमांकन रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड वाके कस्बा चूरू के अंकित इन्द्राज के अनुसार उक्त आराजी प्रार्थी खातेदारी की आराजी होना साबित है। साथ ही संलग्न रिपोर्ट पैमाइश से भी यह तथ्य प्रार्थीगण साबित है कि सीमा ज्ञान के दौरान उक्त खसरे की भूमि कम पाई गई। जिससे स्पष्ट परिलक्षित होता है कि उक्त वर्णित आराजी की खसरे की सीमाओं को लेकर अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद है। खसरा संख्या 2860/492/5.0080 हैक्ट., 2865/493/2.0107 हैक्ट. व 2869/491/0.1518 हैक्ट. वाके कस्बा चूरू पटवार हल्का चूरू तहसील चूरू का सही सीमा ज्ञान करवा कर पुख्ता चिन्ह (पत्थरगढ़ी) लगाने के लिए प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया है। वह अपने खेत का पुख्ता सीमा ज्ञान (पत्थरगढ़ी) करवाना चाहती है। इस प्रकार प्रार्थीगण की अपनी कब्जेशुदा खातेदारी आराजी की सुरक्षा तथा सीमा विवाद के निस्तारण हेतु पत्थरगढ़ी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू—राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि तहसीलदार चूरू खसरा संख्या 2860/492/5.0080 हैक्ट., 2865/493/2.0107 हैक्ट. व 2869/491/0.1518 हैक्ट. वाके कस्बा चूरू पटवार हल्का चूरू तहसील चूरू की नपती एवं सीमा ज्ञान हेतु प्रार्थी से नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा करवाया जाकर सम्बन्धित पटवारी एवं भू—अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर मौके पर पुख्ता केन्द्र बिन्दु कायम करते हुए सीमा के समीप सभी खातेदारों की उपस्थिति में विधिवत सीमा ज्ञान एवं पत्थरगढ़ी करावें। संबंधित पक्षकारों/हितधारकों की पूर्व सूचित उपस्थिति में खातेदारी आराजी पर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश तहसीलदार चूरू को दिये जाते हैं एवं साथ ही निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थीगण को मौके पर उपस्थित रहने बाबत जरिये नोटिस पूर्वसूचित करते हुए पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट न्यायालय को अवगत करायें। पक्षकार अपना—अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

आदेश प्रति पालनार्थ हेतु तहसीलदार चूरू को भिजवाई जावें। अहकाम पृथक से जारी किया जावे।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 28.11.2025 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

(सुनील कुमार— I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:17:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू